पत्रांक 15/एम 1–107/2020 – 1445.

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

डॉ0 कौशल कुमार गिरी,
मैनेजिंग ट्रस्टी,
अम्बेदकर इंच्टीच्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ट्रस्ट,
छितनावाँ, दानापुर, पटना–801503 ।

पटना, दिनांक 08.06. 2022

विषयः– बिहार राज्यान्तर्गत सीवान जिले के चिंतामनपुर, दरौंधा, सीवान में निजी क्षेत्र में वी0वी0 गिरी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 एवं बिहार निजी विश्वविद्यालय नियमावली, 2013 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में प्रायोजक निकाय अम्बेदकर इंच्टीच्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ट्रस्ट, छितनावाँ, दानापुर, पटना–801503 द्वारा वी0वी0 गिरी विश्वविद्यालय, दरौंधा, सीवान की स्थापना हेतु प्राप्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/प्रस्ताव विभाग में समर्पित किया गया है। इस प्रस्ताव पर विचारण हेतु विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–1188 दिनांक 25.06.2021 के माध्यम से गठित समिति द्वारा विभाग में समर्पित प्रतिवेदन एवं प्रायोजक निकाय द्वारा उपलब्ध कराए गए पूरक प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा प्रायोजक निकाय अम्बेदकर इंच्टीच्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ट्रस्ट, छितनावाँ, दानापुर, पटना –801503 को सीवान जिले के चिंतामनपुर, दरौंधा, सीवान में निजी क्षेत्र में वी0वी0 गिरी विश्वविद्यालय हेतु अधिनियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत आशय पत्र (Letter of intent) निर्गत करने का निर्णय लिया गया है।

2. इस संदर्भ में आपको निदेश दिया जाता है कि निजी क्षेत्र में प्रासंगिक विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आदेश किये जाने से पूर्व बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की कंडिका 5 (1) के तहत निम्नांकित शर्त्तों का अनुपालन कर उक्त अधिनियम की कंडिका 5 (2) में वर्णित समय–सीमा के अंदर विभाग को सूचित किया जाएः–

(i) बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 की धारा 11 में वर्णित अक्षय निधि की स्थापना किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) यदि पहले से उपलब्ध न हो तो नगरपालिका क्षेत्र के बाहर कम से कम 10 एकड़ जमीन या नगरपालिका क्षेत्र के भीतर 5 एकड़ भूमि अपने स्वामित्व में लेने की प्रक्रिया पूरी की जाए।

(iii) यदि पहले से उपलब्ध न हो तो प्रशासनिक प्रयोजनार्थ तथा अकादमिक कार्यक्रमों के संचालन करने के लिए न्यूनतम 10,000 वर्गमीटर आच्छादित स्थान का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

(iv) कम से कम 10 लाख रुपये की या नियामक निकायों के मानकों के अनुसार जो भी उच्चतर हो, पुस्तकों और जर्नल का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा यह वचनबद्धता दी जाए कि प्रथम तीन वर्षों के अन्तर्गत न्यूनतम 50 लाख रुपये या नियामक निकायों के मानकों के अनुसार, जो भी अधिक हो, पुस्तकों, जर्नल, कम्प्यूटर, पुस्तकालय, नेटवर्किंग तथा अन्य सुविधाओं पर निवेश सुनिश्चित किया जाएगा ताकि समकालीन शिक्षा एवं शोध के लिए पुस्तकालय सुविधायें पर्याप्त हो जाएँ।

(v) 20 लाख रुपये या नियामक निकायों के मानकों के अनुसार, जो भी अधिक हो, उपकरण, कम्प्यूटर, फर्नीचर एवं अन्य चल एवं अचल आस्तियों तथा आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं (उपर खंड (iv) में निर्दिष्ट भवनों से भिन्न) का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए, न्यूनतम एक करोड़ रुपये के या नियामक निकायों के मानकों के अनुसार, जो भी अधिक हो, उपकरण, कम्प्यूटर, फर्नीचर, अन्य चल एवं अचल आस्तियाँ और आधरभूत संरचनात्मक सुविधाएं (उपर खंड (iv) में निर्दिष्ट से भिन्न) उपाप्त कर लिया जाएगा इसकी वचनबद्धता दी जाए ।

(vi) यह वचनबद्धता दी जाए कि विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए जाने वाले हरेक विभाग या विषय में आवश्यक सहायक कर्मचारियों के साथ–साथ कम–से–कम एक प्राध्यापक, दो सह–प्राध्यापक और पर्याप्त संख्या में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की जाएगी।

(vii) यह वचनबद्धता दी जाए कि नियामक निकायों के मानकों के अनुसार छात्रों के लाभार्थ पाठ्यक्रम से सहबद्ध क्रियाकलापों, यथा–सेमिनार, वाद–विवाद, क्विज कार्यक्रम तथा पाठ्येतर क्रिया–कलापों, यथा–खेल, क्रीड़ा, राष्ट्रीय सेवा कोर, राष्ट्रीय सेवा स्कीम, स्काउट एवं गाइड्स आदि की सुविधएँ प्रदान की जाएंगी।

(viii) यह वचनबद्धता दी जाए कि विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की स्थापना करेगा और कल्याणकारी कार्यक्रमों को अपनाएगा ।

(ix) यह वचनबद्धता दी जाए कि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या संघ सरकार या राज्य सरकार की किसी विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य कानूनी निकाय द्वारा यथाविहित शर्त्तों की पूर्त्ति करेगा तथा यथाविहित अन्य जानकारी उपलब्ध कराएगा।

3. प्रायोजक निकाय बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 एवं बिहार निजी विश्वविद्यालय नियमावली, 2013 में विहित शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने की वचनबद्धता देंगे।

4. प्रायोजक निकाय उपर वर्णित कंडिका (2) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं एवं शर्तों को पूरा करते हुए आशय–पत्र जारी किए जाने की तारीख से बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 की धारा 5(2) में वर्णित समयावधि/प्रावधानानुसार राज्य सरकार को अनुपालन प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेगा। अनुपालन प्रतिवेदन संतोषप्रद होने की स्थिति में अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत राज्य सरकार (मंत्रिपरिषद) की स्वीकृति से विश्वविद्यालय संचालन हेतु अनुमति दी जाएगी।

5. यदि प्रायोजक निकाय उपर वर्णित कंडिका (2) के शर्त्तों का अनुपालन करने में विफल होता है तो बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 की धारा–4 के अधीन प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाएगा और धारा 5 (1) के अधीन उसे इस पत्र के द्वारा जारी किया गया आशय–पत्र वापस लिया गया माना जायगा।

विश्वासभाजन

(अर्शद फिरोज)
सरकार के उप सचिव